किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत विभाग द्वारा जारी अनुदान से स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित उपरोक्त बाल/बालिका आश्रमों को शैल्टर होम घोषित किया है।

(iii) परित्यक्त बच्चों के गृह, यू0एस0क्लब शिमला
Home for abandoned children US Club Shimla

उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चों को देखरेख एवं सरंक्षण प्रदान करना।

पात्रता 6 वर्ष से कम आयु के परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चें यदि किसी परित्यक्त स्थिति में पाये जाते है तो ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें हि0प्र0 बाल कल्याण परिषद शिमला द्वारा यू0एस0क्लब शिमला में संचालित शिशु गृह में प्रवेश दिया जाता है।

(3) दत्तक ग्रहण ऐजेंसी

उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चों को दत्तक ग्रहण करवा कर विकास के समान अवसर प्रदान करवाना।

पात्रता ऐसे दम्पति जिनकी कुल आयु 90 वर्ष या इससे कम हो तथा मासिक आय 3000/–रु0 से अधिक हो।

प्रक्रिया इच्छुक दम्पति दत्तक ग्रहण करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन महासचिव, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद शिमला–2 को कर सकते हैं।

आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक की गृह अध्ययन रिर्पोट तैयार करवाई जाती है। परित्यक्त बच्चों के गृह में उपलब्ध बच्चे के सर्वोतम हित के दृष्टिगत सर्वश्रेष्ठ दम्पति को चयनित करके न्यायालय द्वारा कानूनी दत्तक ग्रहण करवाया जाता है।

सम्पर्क–अधिकारी महासचिव, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद शिमला–2/सम्बन्धित जिला के जिला कल्याण अधिकारी।

(4) **मदर टेरेसा मातृ असहाय सम्बल योजना**

Mother Taressa Matri Ashya Sambal Yojna

उद्देश्य निःसहाय महिलाओं के बच्चें या अनाथ बच्चें जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो के पालन पोषण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

पात्रता ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास द्वारा चयनित गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाऐं जो विधवा हो, तलाकशुदा हो, परित्यक्ता हो या जिन के पति दो साल से लापता हो और सम्बन्धित थाना में न मिलने की रिर्पोट हो या ऐसी निःसहाय महिलाऐं जिनकी वार्षिक आय 18000/–रु0 से कम हो या ऐसे अनाथ बच्चों जिनके अभिभावक जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहें हो या जिन अभिभावकों की वार्षिक आय 18,000/–रु0 से कम हो।

सहायता 2000/–रु0 प्रति बच्चा प्रति वर्ष 18 वर्ष की आयु तक केवल 2 बच्चों को।

सम्पर्क–अधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी।